

नियोक्ता का नाम:

कर्मचारी कोड:

श्री/श्रीमती/सुश्री:

अंतिम नाम:

प्रथम नाम:

व्यक्तिगत पता और ईमेल:

पिन कोड:

शहर और देश:

ईमेल:

पैन (PAN) नं.:

आयकर अधिनियम, 2025, धारा 394 के तहत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस/TCS) से संबंधित प्रावधान निर्दिष्ट करता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस/LRS) के तहत प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए टीसीएस (TCS) दरों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित किया गया है, जो भारत के बाहर किए गए सभी प्रेषणों (remittances) के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन है। धारा 394 के प्रावधानों के अनुसार, एलआरएस (LRS) के तहत प्रेषण के लिए लागू टीसीएस (TCS) दर 20% है जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष (मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2026-27) में भारत के बाहर किए गए कुल प्रेषण 10 लाख रुपये से अधिक हैं (जिसमें 2026 लॉरियल (L'Oréal) कर्मचारी शेयर योजना के तहत कर्मचारी के स्वयं के प्रेषण शामिल हैं)।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने 1 अप्रैल 2026 से इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि भारत के बाहर प्रेषित की है।

मेरे द्वारा अब तक भारत के बाहर किया गया कुल प्रेषण**भारतीय रुपये (INR) _____**

(*इसमें परिवार के भरण-पोषण, उपहार, चिकित्सा, शैक्षिक शुल्क, निवेश (2026 लॉरियल (L'Oréal) कर्मचारी शेयर योजना के तहत मेरे प्रेषण को छोड़कर, जिसे उपरोक्त राशि में जोड़ा जाएगा), और एलआरएस (LRS) के तहत अनुमत सभी चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए अन्य प्रेषण शामिल हैं। विदेश में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतानों को उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।)

वित्तीय वर्ष 2026-27 (अब तक) के दौरान भारत के बाहर प्रेषण के कुल मूल्य को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने नियोक्ता को अगस्त 2026 में मेरे पेरॉल (वेतन) से कानून के अनुसार टीसीएस (TCS) वसूलने की सहमति देता/देती हूँ। वसूल किए गए ऐसे टीसीएस (TCS) (यदि कोई हो) को मेरे नियोक्ता द्वारा मेरे पैन (PAN) के तहत केंद्र सरकार के पास जमा करने के लिए एडी (AD) बैंकरो को प्रेषित किया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में देय मेरी कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

मैं समझता/समझती हूँ कि:

- यदि वित्तीय वर्ष 2026-27 (अब तक) के दौरान एलआरएस (LRS) के तहत मेरा कुल प्रेषण 10 लाख रुपये से अधिक है, तो 2026 लॉरियल (L'Oréal) कर्मचारी शेयर योजना के तहत मेरे योगदान के मूल्य का 20% टीसीएस (TCS) के रूप में वसूल किया जाएगा।
- यदि मेरा कुल प्रेषण (2026 लॉरियल (L'Oréal) कर्मचारी शेयर योजना के तहत मेरे योगदान सहित) 10 लाख रुपये से कम है, तो आपके पेरॉल से टीसीएस (TCS) वसूलने की आवश्यकता नहीं है।

मैं सहमत हूँ कि उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी मेरे नियोक्ता, नियोक्ता के बैंकर, और मेरे नियोक्ता तथा लॉरियल एस.ए. (L'Oréal S.A.) के अलावा किसी भी ऐसे पक्ष को प्रकट/प्रदान की जानी चाहिए, जो भारतीय कर (टीसीएस (TCS)) और/या अन्यथा के लिए इस जानकारी को प्राप्त करने, बनाए रखने और संसाधित करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत है। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी को 2026 लॉरियल (L'Oréal) कर्मचारी शेयर योजना में निर्धारित उद्देश्यों के लिए भारत के भीतर और बाहर स्थानांतरित, संसाधित और संग्रहीत किया जा सकता है।

L'ORÉAL

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण और जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सत्य हैं। मैं अपने नियोक्ता को उन सभी दावों, देनदारियों और खर्चों से क्षतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत हूँ जो नियोक्ता द्वारा सहे या वहन किए जा सकते हैं और जो इस या किसी अन्य घोषणा में मेरे द्वारा प्रस्तुत किसी भी गलत जानकारी से या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

यदि यह ऑनलाइन है, तो मेरी यह प्रस्तुति मेरे हस्ताक्षर के रूप में मानी जा सकती है। अन्यथा, मैं इस एलआरएस (LRS) घोषणा पर भौतिक रूप से निम्नानुसार हस्ताक्षर करूँगा/करूँगी:

हस्ताक्षर.....दिनांक.....

हस्ताक्षर (समर्थन के पहले कृपया लिखें: " मैंने इसे पढ़ा और अनुमोदित किया है"):